— 1

<u>राजस्थान सरकार</u>

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़.312001;Ph&Fax :01472-294001;email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2020 –21 / 4982 28.7.2020 **दिनांक :**

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
परियोजना खण्ड, चित्तौड़गढ़

विषय :– पंचायत समिति भैसरोड़गढ़ के 38 ग्राम एवं 27 ढाणियों की पेयजल परियोजना के फोरेस्ट क्लीयरेन्स के प्रस्ताव पर आक्षेपों का प्रत्युत्तर के संबंध में बाबत। (Proposal No. FP/RAJ/WATER/17698 / 2016)

प्रसंग :– (1.) कार्यालय वन संरक्षक (केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 8 बी / राज. / 08 / 28 / 2018 / एफ.सी. / 460 दिनांक 11.10.2018

(2.) कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का आदेश क्रमांक 984 दिनांक 4.9.2019 के क्रम में।

(3.) इस कार्यालय का ऑनलाईन आक्षेप दिनांक 16.7.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पंचायत समिति भैसरोड़गढ़ के 38 ग्राम एवं 27 ढाणियों की पेयजल परियोजना में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रासंगिक आदेश से ग्राम कोलपुरा की राजकीय बिलानाम आ.सं. 102 मी. रकबा 6.91 है. में से 1.51 है. तथा ग्राम गोपालपुरा की राजकीय बिलानाम आ.सं. 33 रकबा 1.54 है. व आ.सं. 34 रकबा 1.64 है. में से 0.76 है. कुल किता 3 रकबा **3.81** हैक्टेयर भूमियों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के प्रावधानो के अर्न्तगत वन विभाग के पक्ष में पूर्व में ही आवंटित की जा चुकी है।

प्रकरण में 3.8122 है. भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग को किया जाना था एवं जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रासंगिक आदेश से 3.81 है. भूमि आंवटित पूर्व में ही किया जाने से अवशेष रही भू 0.0022 है. ही है जबकि कार्यालय वन संरक्षक (केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा आक्षेप में 0.0122 है. भूमि प्राप्त होना अवशेष बताया है।

अतः प्रकरण में **0.0022** हैक्टर भूमि ही प्राप्त किया जाना अवशेष था जो कि जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक / राजस्व / 12–8 (1)16 / 984 दिनांक 04.09.2019 से वन–विभाग के पक्ष में सेटअपार्ट कर दी गई है। जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रासंगिक आदेशो के क्रम में उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इस अनुसार अंकन हेतु संबंधित को निर्देशित किया जा चुका है। किन्तु आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर इस कार्यालय में कोई भी रिकोर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

अतः अब भी अविलम्ब राजस्व रिकोर्ड में अंकन करवाया जाकर वांछित रिकोर्ड इस कार्यालय में हार्ड प्रति में एवं प्रकरण में वांछित कुल NFL 3.8122 है. पूर्ण रूप से आंवटित गैर वन भूमि की KML फाईल की सॉफ्ट प्रति इस कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें। अन्यथा प्रकरण में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के लिए यह विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

(सुगनाराम जाट)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2020 –21 / 4983-84 28.7.2020 **दिनांक :**

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान – अरण्य भवन, जयपुर
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़